

प्रेस नोट दिनांक-21.08.2020

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन के क्रम में श्री सतीश कुमार पाण्डेय निरीक्षक अपराध थाना मऊ तथा उनकी टीम द्वारा थाना मऊ का हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त जो लगातार 07-08 वर्षों से फरार चल रहे अभियुक्त रामचन्द्र पासी पुत्र पूनी पासी निवासी गोली का डेरा बरयारी थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 01 अदद देशी तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मऊ में मु0अ0सं0 175/2020 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

01 अदद देशी तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 93/05 धारा 364 भादवि0
2. मु0अ0सं0 102/05 धारा 307 भादवि0 व 14डीएए एक्ट
3. मु0अ0सं0 103/05 धारा 25 आर्म्स एक्ट
4. मु0अ0सं0 102/87 धारा 395/397 भादवि0
5. मु0अ0सं0 40/05 धारा 364 भादवि0 थाना जनेह जनपद सतना म0प्र0
6. मु0अ0सं0 107/05 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना मऊ
7. एनसीआर नं0 154/02 धारा323/504/506 भादवि0
8. मु0अ0सं0 175/2020 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट

बरामदगी/गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. निरी0 अपराध श्री सतीश कुमार पाण्डेय थाना मऊ
2. उ0नि0 श्री संतराम मौर्या
3. आरक्षी अनुज कुमार
4. आरक्षी अंकित सचान

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में उ0नि0 श्री आनन्द मिश्रा थाना कोतवाली कर्वी तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त अर्जुन निषाद पुत्र देवीदीन निवासी टिकुरा कपसेठी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 429/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

10 लीटर कच्ची शराब

बरामदगी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री आनन्द कुमार मिश्रा थाना कोतवाली कर्वी
2. आरक्षी राजमंगल बिन्द

(3). जनपद चित्रकूट पीआरवी 2038 थाना रैपुरा अंतर्गत दिनांक 20/08/2020 को समय 06:20 बजे इवेंट संख्या 1070 द्वारा घटनास्थल बजरंग ढाबा के पास से कॉलर प्रशांत कुमार जी ने बताया है कि एम्बुलेंस व 02 पहिया का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें 02 लोग घायल है। इस सूचना पर पीआरवी तत्काल अल्प समय में घटनास्थल पर पहुंची, घटनास्थल पर पहुंच कर पीआरवी कर्मियों को जानकारी हुई कि हो0गा0 पीसी ब्रजेश कुमार थाना रैपुरा में डियूटी करने आ रहा था कि बजरंग ढाबा के पास रामनगर में एक प्राइवेट एम्बुलेंस जो प्रयागराज की तरफ जा रही था टकरा गयी। जिससे

मोटरसाइकिल सवार एवं एम्बुलेंस चालक गम्भीर रूप से घायल हो गए। पीआरवी टीम द्वारा घायलों को एम्बुलेंस का मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रामनगर में भर्ती कराया गया। एवं परिजनों को सूचित किया गया।

पीआरवी टीम:-

कमांडर - आरक्षी पंकज कुमार

पायलट – आरक्षी अवध राम

(4). पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में वांछित/वारण्टी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक श्री रवि प्रकाश के मार्गदर्शन में चित्रकूट पुलिस द्वारा 02 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

(i). व0उ0नि0 श्री अरविन्द मिश्रा तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 57/2020 धारा 366 भादवि के वांछित अभियुक्त नीलू पुत्र चन्द्रसेन सिंह निवासी मोजरा मुरका थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. वरि0उ0नि0 श्री अरविन्द मिश्रा

2. का0 राघवेन्द्र सिंह

(ii). उ0नि0 श्री अजय कुमार जायसवाल चौकी प्रभारी गनीवा तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 69/2020 धारा 382 भादवि के वांछित अभियुक्त सूर्या उर्फ अनिल पुत्र राजा नामदेव निवासी अगरहुडा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. चौकी प्रभारी श्री अजय कुमार जायसवाल

2. का0 अशोक पाल

3. का0 मानवेन्द्र

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन क्लीन के क्रम में वरि0उ0नि0 श्री अशोक कुमार निगम थाना मानिकपुर तथा उनकी टीम द्वारा बबुली कोल गैंग के सदस्य रहे टॉप-10 अपराधी सत्यनारायण पुत्र शिवमोहन निवासी नागर थाना मानिकपुर चित्रकूट को अवैध तमंचा कारतूस के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गयी।

आज दिनांक 21.08.2020 को वरि0उ0नि0 श्री अशोक कुमार निगम थाना मानिकपुर को सूचना प्राप्त हुयी कि बबुली कोल गैंग का सदस्य रहा, टॉप-10 अपराधी सत्यनारायण पुत्र शिवमोहन निवासी नागर अवैध शस्त्र के साथ किसी घटना को कारित करने के उद्देश्य से जंगल में छिपा है। इस सूचना पर वरि0उ0नि0 अपनी टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे जहां पर पुलिस को देखकर अपराधी भगाने लगा जिसे पुलिस टीम द्वारा समय करीब 05 बजे सुबह घेरकर पकड़ लिया गया। अभियुक्त की जामातलाशी ली गयी तो उसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुये। अवैध शस्त्र बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 105/2020 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 422/2009 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट

2. मु0अ0सं0 22/2012 धारा 216ए भादवि0

3. मु0अ0सं0 33/2016 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट

4. मु0अ0सं0 44/2012 धारा 110जी जा0फौ0

5. मु0अ0सं0 276/2016 धारा 216ए भादवि0 व 12/14 डीएए एक्ट

6. मु0अ0सं0 78/2018 धारा 392/386/307/323/504/506/427 भादवि0 व 12/14 डीएए एक्ट

7. मु0अ0सं0 79/2018 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट

8. मु0अ0सं0 105/2020 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट

बरामदगी:-

01 अदद तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. वरि0उ0नि0 श्री अशोक कुमार निगम थाना मानिकपुर
2. उ0नि0 श्री अनिल कुमार साहू
3. उ0नि0 श्री सुरेश यादव
4. आरक्षी अरविन्द कुमार मौर्य
5. आरक्षी यशराज